श्री योगेश वर्मा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 4/7/2015
को प्रस्तुत
1331/4.7.15

निगरानी 2295-PBR-15

निगरानी प्र.क. ..../2015

प्रस्तुति दिनांक : ..../06/2015

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

1. **ईश्वरलाल पिता होकमीचंद कलाल**
2. **गणेशलाल पिता होकमीचंद कलाल**

दोनो निवासी – ग्राम नौगांवा तहसील मेघनगर
जिला झाबुआ (म.प्र.) ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

सोमला पिता थावरिया डामर
निवासी – ग्राम नौगांवा तहसील मेघनगर,
जिला झाबुआ (म.प्र.) ......प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 161/निगरानी/2010–11 में दिनांक 07/05/2015 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

4/7/15

।। प्रकरण के तथ्य ।।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2295—पीबीआर / 15 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—12—2015	आवेदक की ओर से श्री एच.एन. फड़के, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 7—5—15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निगरानी निरस्त की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में आदेश पारित हो चुका है । अतः ऐसी स्थिति में उसी भूमि के संबंध में पुनः कार्यवाही की जाना न्यायोचित नहीं है, अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	